

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव

FORM-1

(for linear projects)  
uttarkashi

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector  
Dated-19-07-2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.152 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **construction division public works deparment...chinyalisour uttarkashi** for road **construction in uttarkashi district** falls within jurisdiction of Bangoan-Chapra-Kaslana.village (s) in **chinyalisour** and Barkot tehsils.

**It is further certified that:**


- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 7.152 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23 to 23.2** annexure
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.


Encl : As above.

प्रतिप्रस्ताव

(D.  Prakash Singh)

District ~~Collector~~ te-uttarkashi

  
District Collector  
uttarkashi

  
District Collector  
uttarkashi


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Processing of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of uttarkhashi, district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/ D.K. Choudhury I.A.S district magistrate uttarkashi on dated 19/7/16...at uttarkashi. in which application claiming rights in forest land area measuring 7.152. hect for the construction of Bangoan-chapra-kaslana motor Road forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: ...uttarkashi.....  
Dated:.....

  
निवाहिका रा  
(D.K. Choudhury)  
District Magistrate-uttarkashi

34-  



**It is certfied that –Minutes of meeting of Bangoan-Chara-Kasalana road  
(Length 9.00 Km.) Regarding FRA is as following:-**


Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire 7.152 Het of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given Consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Motar road attached.
(c)	The proposal does not immvoice recoginized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communtites.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.

  
**डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट**

(D.K. Choudhary)

**District Magistrate-cum-chairman  
District Level Committe  
Uttarkashi**







  
 उप जिलाधिकारी  
 दुष्सा उत्तरकाशी

  
 उप जिला अधिकारी  
 बगुलेश (धाराकाशी)

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशा

जिला स्तरीय समिति, जिला-उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19/07/2016 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्वालीसौड़ के ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.152 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति ।

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री डी०के० चौधरी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री <del>विश्वनाथ प्रसाद</del> नरिन्द्र यादव	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	
3	श्री जी.के. रस्तोगी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	 19/07/16
4		प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट	 जितेन्द्र सिंह सदस्य जिला पंचायत टकनौर/ समिति उत्तरव
5	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य	
6	श्रीमती अनीता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य	 जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत टकनौर समिति उत्तरव
7	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य	 अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत टकनौर समिति उत्तरव

जिला पंचायत सदस्य  
-16 इलाहाबाद  
ग- उत्तरकाशी


प्रारूप-30.2


राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्थालीसौड़ के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्थालीसौड़


उपखण्ड चिन्थालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.417 हे०) आरक्षित वन भूमि 2.292 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि रिक्त वन पंचायत भूमि, डम्पिंग यार्ड 1.125 हे० अर्थात् कुल (3.417 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्थालीसौड़) की दिनांक 19-7-11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का दिवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी डुण्डा
  - 2- श्री आर०बी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू
  - 3- सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्थालीसौड़
  - 4- श्री विजेन्द्र सिंह रावत बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्थालीसौड़
-  अध्यक्ष

 सदस्य

 सदस्य/सचिव

 सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.417 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट रूप से जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डुण्डा-द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~वनडाँव-चापड़ा-~~  
~~कसलामा-गम~~ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.152 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- चिन्यालीसौड़  
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... उत्तरकाशी ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- चिन्यालीसौड़  
जनपद उत्तरकाशी

प्रारूप-30.2





परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड विन्यालीसौड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति नौगांव

उपखण्ड विन्यालीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.735 हे०) आरक्षित वन भूमि 2.065 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.63 हे० वन प्रयागत भूमि, डम्पिंग यार्ड 1.04 हे० अर्थात् कुल (3.735 हे० वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 31.5.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजकुमार पाण्डे उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री राजकुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी बड़कोट
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव
3. सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव
4. श्रीमती रचना बहुगुणा बी०डी०सी० क्षेत्र नौगांव


अध्यक्ष   
सदस्य   
सदस्य/सचिव   
सदस्य   
उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.735 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को सम्पन्न करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा प्रयागत

द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.735 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
उप जिलाधिकारी / अक्षयक  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- बड़कोट  
जनपद- उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... उत्तरकाशी ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- बड़कोट  
जनपद उत्तरकाशी



ना का ना  
राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्त्यालीसी के  
बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7  
152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कसलाना  
तहसील-----, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनगांव-चापड़ा-कसलाना परियोजना के निर्माण हेतु (3.105 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.63 हे० सिविल सोयम भूमि, 3.735 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.735 हे० वन भूमि का चिन्त्यालीसी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कसलाना द्वारा दिनांक 3.5.12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

उपरोक्त के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कसलाना के वासियों को उक्त वन भूमि 3.735 हे० आरक्षित प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम पंचायत कसलाना  
ग्राम पंचायत सचिव  
कसलाना



प्रारूप-30'3

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेअर आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चापड़ा  
तहसील चिन्सौंड, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनगांव-चापड़ा-कसलाना परियोजना के निर्माण हेतु 6.522 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.63 हे० सिविल सोयन भूमि रिजर्व हे०, वन पंचायत भूमि NULL हे० अर्थात् कुल 7.152 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चापड़ा द्वारा दिनांक 20.6.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चापड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।





प्रमाणित

# कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)

## उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19-7-16 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम-बनगाँव - चिन्यालीसौड़ मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत





उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सौरभ असवाल	उपजिलाधिकारी डुण्डा	
2	श्री आर0बी0 सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	
3	श्री सुधीर चन्द्र जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़	
4	श्री बिजेन्द्र सिंह रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड़	

कार्यालय उप जिलाधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, नौगांव उत्तरकाशी।

आज दिनांक ...31.8/2021... को चिन्यालीसौड़ से ग्राम-नौगांव का लाला मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी बड़कोट की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राजकुमार पाण्डे	उपजिलाधिकारी बड़कोट	
2	<del>श्री. श्री. सिंह</del>	उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव	<del></del>
3	<del>प्रभाव सिंह रावत</del>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव	<del></del>
4	श्रीमती रचना बहुगुणा	बी0डी0सी0 क्षेत्र नौगांव	

प्रारूप-30.4


दिनांक 26/06/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत .....  
.....

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्चालीसौंड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी. लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेअर आरक्षित वन भूमि इस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दीवान दास	दीवान
	चैन सिंह राणा	Amna
	शुशवीर सिंह	शुशवीर सिंह
	दिनेश लाल	दिनेश लाल
	अर्जुन सिंह	अर्जुन सिंह
	शीशपाल	शीशपाल
	राज्जा लाल	राज्जा
	बलवीर सिंह	बलवीर
	केदार सिंह	केदार सिंह
	पित्तु सिंह	Pittu
	सुनिल	Sunil
	अमित	Amit
	हुकम सिंह	हुकम सिंह
	अकबर सिंह	अकबर सिंह
	राम	Ram
	महवीर	Maharaj
	अजयपाल सिंह	अजयपाल सिंह
	अरविन्द सिंह	अरविन्द सिंह
	रघुवीर सिंह	रघुवीर
	परम सिंह	परम
	सुभाष लाल	सुभाष लाल
	विजयपाल सिंह	विजयपाल सिंह
	उतम सिंह	उतम
	पवन सिंह	Pawan
	मनवीर	Manoj
	जगवीर सिंह	जगवीर सिंह
	जगमोहन सिंह	जगमोहन

उप प्रधान  
ग्राम पंचायत चापड़ा  
विकास: खण्ड नौगाँव (उठका)



दिनांक 3/5 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कसलाना

का नाम-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्त्यालीसौंड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...

अधीन

अधीन